

मा0 निदेशक मण्डल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 267वीं बैठक
दिनांक-31 जुलाई, 2024

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 267वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | डा0 नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग | अध्यक्ष |
| 2. | डा0 बलकार सिंह, आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 3. | डा0 नीरज शुक्ला, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आ0वि0परिषद | सदस्य |
| 4. | श्री महेश चन्द्र पाण्डेय वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आ0वि0परिषद | सदस्य |
| 5. | श्री दीपक सिंह, वित्त नियंत्रक ल0वि0प्रा0/प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त | सदस्य |
| 6. | श्री डी0वी0 सिंह, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 7. | श्री संजीव कश्यप, मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |

विषय सूची

मद सं0	विषय	अनुभाग	निर्णय
267/1	परिषद की 266वीं बैठक दिनांक 12 जून, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 266वीं बैठक दिनांक-12 जून 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
267/2	परिषद की 266वीं बैठक दिनांक 12 जून, 2024 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 266वीं बैठक दिनांक-12 जून 2024 अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
267/3	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में प्रदाता 'फर्म' के माध्यम से 05 नग आशुलिपिक आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने के सम्बन्ध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
267/4	परिषद में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
267/5	वृन्दावन योजना संख्या-1, 2, 3 व 4 लखनऊ के हितबद्ध काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि के रूप में 60.00 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन विन्बे जाने एवं देयता से अतिरिक्त भूमि की	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि बोर्ड में प्रस्तुत सूची को अंतिम मानते हुए दिनांक-31.12.2024 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

	धनराशि दिये जाने तथा देयता से कम भूमि की धनराशि लिये जाने के सम्बन्ध में।		
267/6	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद योजित रिट याचिका संख्या-12949/2024 श्री करन सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में जागृति विहार (विस्तार) योजना सं0-11, मेरठ के ग्राम-कमालपुर के प्रश्नगत खसरो में से गाटा संख्या-59 एवं 31 को छोड़कर शेष गाटा संख्या-24/1, 25, 60, 62, 63, 66, 71 व 72 के काश्तकारों के साथ लैंड पूलिंग नीति के तहत बिना प्रतिकर दिये 25 प्रतिशत विकसित भूमि बिना आसुधार शुल्क के सम्बन्धित भू-स्वामियों के साथ विकास अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया। इस निर्णय को भविष्य में नजीर के रूप में उद्धृत नहीं किया जाये।
267/7	श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सेवाएं परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
267/8	श्री दीप कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति किये जाने हेतु अनिवार्य 02 वर्ष की "नॉन फील्ड जॉब" की अवधि को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही भविष्य में प्रोन्नति के पूर्व तैनाती Non Field स्थान पर किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जाए।

267/9	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन्स 1973 (यथासंशोधित) के भाग-4 के विनियम-8 में उल्लिखित आयु सीमा में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्युक्त विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
267/10	अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के 5 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु समूह-ग के पद पर न्यूनतम सेवा अवधि एवं पदों की गणना उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन्स 1973 (यथासंशोधित) के लिए लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्युक्त विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
267/11	शासनादेश संख्या-23-4099 (099)/61/2022 दिनांक 07-02-2024 को परिषद में लोक निर्माण विभाग के समान श्रेणी एवं पदनाम के पद की निर्धारित समान शैक्षिक योग्यता के समतुल्य ही समकक्ष शैक्षिक अर्हता के निर्धारण किये जाने एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग (सिविल)/विद्युत ओवरसियर्स) सर्विस रेगुलेशन 1973 (यथासंशोधित) के भाग-4 के विनियम-9(i) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता के बिन्दु में समकक्ष अर्हता के रूप में स्वीकार किये जाने के संबंध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्युक्त विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
267/12	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में मानचित्रक संवर्ग, तकनीकी सहायक संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, सर्वेयर संवर्ग	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्युक्त विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	एवं जूनियर प्रोग्रामर संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीमित अवधि के लिये फिक्स मानदेय पर, संविदा पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।		
267/13	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री एच0के0 वाधवा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता विरुद्ध गठित विभागीय जाँच की कार्योत्तर अनुमति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
267/14	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री मो0 सलीम, तत्कालीन निदेशक के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच की कार्योत्तर अनुमति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
267/15	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री एम0पी0 वैश्य, तत्कालीन निदेशक के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच की कार्योत्तर अनुमति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
267/16	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री नरसिंह प्रसाद, तत्कालीन निदेशक के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच की कार्योत्तर अनुमति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
267/17	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में फैजाबाद रोड पर स्थिति भवन सं0-बी-11(कुल क्षे0-800.00 वर्गमी0) में भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
267/18	इन्दिरा नगर योजना के डी-ब्लॉक में स्थित 05 नग स्कूटर गैराज सं0-जी-1/2, 1/3, 1/4,	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि स्कूटर गैराज पूर्व में जिन्हें आवंटित किया

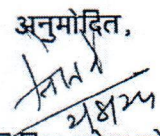
	1/5 एवं 1/6 (कुल क्षेत्रफल 56.34 वर्गमी0) का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।		गया था, उनके द्वारा पार्किंग के लिए सार्वजनिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
267/19	भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना (ग्रीनफील्ड टॉउनशिप) अयोध्या के अन्तर्गत स्थित लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर एन0एच0-27 के Ch. 135+340 से Ch. 137+800 के मध्य परिषद योजना की 03 नग सड़कों हेतु अन्डर पास निर्मित करने हेतु रु0 149.08 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि एन0एच0ए0आई0 को जो भी धनराशि अंतरित की जाए वह वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन शासनादेशों के अनुरूप किशतों में की जाए तथा कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण नियमित रूप से परिषद के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
267/20	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद अयोध्या में संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के भूमि अर्जन में आ रही कठिनाईयों/समस्याओं के स्थलीय समाधान हेतु भूस्वामियों से आपसी समझौते के साथ-साथ लैण्ड पूलिंग नीति के अनुसार योजनाओं के भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
267/21	जनपद-वाराणसी में वृत्त के अधीनस्थ संचालित की जा रही वर्ल्ड सिटी एक्सपों भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना वाराणसी, काशीद्वार भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना वाराणसी, जी0टी0 रोड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी एवं वैदिक सिटी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी में लैण्ड पूलिंग नीति/आपसी सहमति के	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	अन्तर्गत भूस्वामियों से विकास अनुबन्ध स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।		
267/22	परिषद की जौनपुर-प्रयागराज मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना जौनपुर में समाविष्ट ग्राम-हरीनाथ पट्टी के खसरा संख्या-44, 45, 46 व 47 कुल अधिग्रहीत भूमि क्षेत्रफल 5050.00 वर्गमी० भूमि में से नियोजन समिति द्वारा अर्जन मुक्त भूमि क्षेत्रफल 1888.00 वर्गमी० भूमि के उपरान्त उक्त खसरों की क्षेत्र 3162.00 वर्गमी० भूमि के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
267/23	परिषद की दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-08 (शाकुम्भरी विहार योजना), सहारनपुर के जल-मल निस्तारण हेतु योजना संख्या-09 के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
267/24	परिषद के जोन व जोन के अधीनस्थ सम्पत्ति कार्यालयों के रख-रखाव हेतु पूर्व के समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए जोनल आयुक्त को वित्तीय अधिकारों का प्रतिनियोधन के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विशेष टिप्पणी:-

- एक विशेष बोर्ड बैठक बुलाई जाए, जिसमें धारा-28 के बाद सभी योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया जाए।



अनुमोदित,

 28/2/24
 (डा० नितिन रमेश गोकर्ण)
 अध्यक्ष